



शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा-2, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001
Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar
 Dharampura-2, Jagdalpur, Dist.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pin code 494001
 Telephone 07782-229037, Fax 07782-229037 Website: www.smkvbastar.ac.in

क्रमांक / 1077 / ए-6 / अका. / कार्यपरिषद / 2025

जगदलपुर, दिनांक 15 / 06 / 2025

कार्यपरिषद की 59वीं बैठक दिनांक 15 / 06 / 2025

// कार्यवृत्त //

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के कार्यपरिषद की 59वीं बैठक दिनांक 15.06.2025 को अपरान्हः 12:00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई है। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव, कुलपति – अध्यक्ष

1. श्री ईश्वर प्रसाद तिवारी	सदस्य	04	डॉ. रानू मेश्राम	सदस्य
2. डॉ. आर.के. हिरकने	सदस्य	05.	डॉ. शरद नेमा	सदस्य
3. डॉ. के. इंदिरा	सदस्य	06.	डॉ. स्वपन कुमार कोले	सदस्य

श्री देवचरण गावड़े, कुलसचिव(I/C) – पदेन सचिव

अनुपस्थित सदस्य:-

1. श्री विक्रम उसेण्डी	सदस्य	09	श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	सदस्य
2. श्री किरण देव	सदस्य	10.	संभागीय, संयुक्त संचालक	सदस्य
3. सुश्री लता उसेण्डी	सदस्य	11.	डॉ. एस.के. पाण्डेय	सदस्य
4. श्री नीलकंठ टेकाम	सदस्य	12.	श्री मुकेश चांडक	सदस्य
5. श्री चैतराम अटामी	सदस्य	13.	श्री राजीव शर्मा	सदस्य
6. डॉ. रश्मि सिंह	सदस्य	14.	श्री अजय सिंह बैस	सदस्य
7. डॉ. सरला आत्राम	सदस्य	15.	सुश्री बुधरी ताती	सदस्य
8. डॉ. चेतन राम पटेल	सदस्य			

विषय क्रमांक-01 (विश्वविद्यालय, के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय, कार्यपरिषद की 58वीं बैठक दिनांक 24.05.2025 तथा 30.05.2025 की संशोधित कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णय:- कार्यवृत्त पर सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक-02 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय, कार्यपरिषद की 58वीं बैठक दिनांक 24.05.2025 तथा 30.05.2025 की संशोधित कार्यवृत्त के पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय:- पालन प्रतिवेदन पर सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक-03 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

दिनांक 03.04.2025 को आयोजित विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 27वीं बैठक में विचार हेतु रखे गये प्रस्ताव एवं समस्त विषयों पर लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय:- अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक-04 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विचार हेतु विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के विभिन्न विभागों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत संचालित होने वाले समस्त 4 वर्षीय स्नातक तथा द्विवर्षीय स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु संवाद के माध्यम से कम से कम चार दैनिक समाचार पत्रों तथा उनके कांकेर,

15 JUN 2025

कोण्डागांव, जगदलपुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा आदि के संस्करणों में विभिन्न समयावधि में प्रकाशन की अनुमति।

निर्णय:— दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर, हरिभूमि, नवभारत, पत्रिका के संस्करणों में छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक-05 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

अशैक्षणिक पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति हेतु तैयार किये गये संशोधित विनियम-91 एवं संशोधित विनियम-38 पर दावा आपत्ति निस्तारण प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय:— दावा आपत्ति निस्तारण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 10.06.2025 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक-06 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 02.07.2024 के द्वारा 2024-25 एवं 2025-26 के लिए स्वीकृत 200 तथा 165 अशैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु आरक्षण रोस्टर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 26.05.2025 को प्रकाशित कर दिनांक 06.06.2025 तक दावा आपत्ति प्राप्त कर तथा आरक्षण रोस्टर तैयार करने हेतु गठित समिति के द्वारा दिनांक 10.06.2025 की बैठक में प्राप्त हुये दावों पर सम्यक् विचारोपरांत अंतिम आरक्षण रोस्टर के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय:— अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक-07 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 02.07.2024 के द्वारा 2024-25 एवं 2025-26 के लिए स्वीकृत 200 तथा 165 अशैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों आरक्षण नियमों का पालन करते हुये रोस्टर क्रमांक के अनुसार पदों को विज्ञापित कर भरे जाने पर विचार।

निर्णय:— सीधी भर्ती के सभी रिक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों को विज्ञापित कर भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक-08 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के 57वीं बैठक के पूरक विषय क्रमांक 05 में लिये गये निर्यानुसार कार्यालयीन कार्य हेतु सहायक प्रोग्रामर एवं विश्वविद्यालय यंत्री एकमुश्त वेतन दर पर नियुक्त किये गये कर्मचारी के संबंध में सूचनार्थ।

निर्णय:— अनुमोदन प्रदान की गई।

विषय क्रमांक-09 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

पी-एचडी. पाठ्यक्रम होने वाले शोधार्थियों को शोध कार्य कराने हेतु शोध निदेशक/सह निदेशक एवं शोध केन्द्र की मान्यता के संबंध में।

निर्णय:— आगामी विद्या परिषद की बैठक में अनुमोदन पश्चात कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक-10 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

COEMPT EDUTECK LIMITED, Madhura Nagar, Hyderabad, Telangana के द्वारा सेमेस्टर परीक्षा जुलाई-दिसम्बर 2024 सत्र 2024-25 के कार्य समाप्ति पश्चात् राशि रुपये 23,60,075.00 (तेईस लाख साठ हजार पचहत्तर रु.) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय:— भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक-11 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

COEMPT EDUTECK LIMITED, Madhura Nagar, Hyderabad, Telangana के द्वारा वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2025 के कार्य समाप्ति पश्चात् राशि 13,29,982.00 रुपये (तेरह लाख उनतीस हजार नौ सौ बयासी रुपये) के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण पर विचार।

निर्णय:— भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

15 JUN 2025

विषय क्रमांक-12 (विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय के विज्ञापन क्रमांक-751/219/Admin./Estt./RR/TP.SMKV/01/2023 दिनांक 05-10-2023 के विरुद्ध आयोजित चयन समिति की बैठकें दिनांक 26-27,30-31/05/2025, 3-5, 10-12.06.2025 की संस्तुतियों पर विचार।

निर्णय:- शिक्षकों की सीधी भर्ती के विज्ञापन 751/219/Admin./Estt./RR/TP.SMKV /01/2023 दिनांक 05-10-2023 के विरुद्ध छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित चयन समिति की विभिन्न तिथियों में आयोजित बैठकों में प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु पात्र आवेदनकर्ताओं के साक्षात्कार के पश्चात् की गई संस्तुतियों के बंद लिफाफों को कार्यपरिषद की सदस्यों की सहमति से निम्न तालिका अनुसार खोला गया:-

क्रं.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	अध्ययनशाला	पद	आरक्षण श्रेणी	चयन समिति की तिथि
01	None Found Suitable	SoS in English	Assistant Professor	UR	26,27-05-2025
02	None Found Suitable	SoS in English	Assistant Professor	OBC	26,27-05-2025
03	None Found Suitable	SoS in English	Assistant Professor	ST	26,27-05-2025
04	Samir Thakur	SoS in English	Associate Professor	UR	27-05-2025
05	Mani Shankar Mishra	SoS in English	Professor	UR	27-05-2025
06	None Found Suitable	SoS in Anthropology and Tribal Studies	Assistant Professor	UR	30,31-05-2025
07	Neeraj Kumar Verma	SoS in Biotechnology	Assistant Professor	UR	03,04,05-06-2025
08	Kush Kumar Nayak	SoS in Biotechnology	Assistant Professor	UR	03,04,05-06-2025
09	Devendra Kumar Maravi	SoS in Biotechnology	Assistant Professor	ST	03,04,05-06-2025
10	Abhishek Awasthi	SoS in Biotechnology	Associate Professor	UR	05-06-2025
11	None Found Suitable (Single Applicant)	SoS in Biotechnology	Professor	UR	05-06-2025
12	Bhuneshwar Lal Sahu	SoS in Political Science	Assistant Professor	UR	10,11,12-06-2025
13	Siyalal Nag	SoS in Political Science	Assistant Professor	UR	10,11,12-06-2025
14	Purnendra Kumar Mirdha	SoS in Political Science	Assistant Professor	SC	10,11,12-06-2025
15	None Found Suitable	SoS in Political Science	Associate Professor	UR	12-06-2025
16	None Found Suitable (Single Applicant)	SoS in Political Science	Associate Professor	OBC	12-06-2025
17	None Found Suitable (Single Applicant)	SoS in Political Science	Professor	OBC	12-06-2025

उपर्युक्तानुसार सीधी भर्ती हेतु आयोजित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर संबंधित विषयों/अध्ययनशालाओं में चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षकों के विभिन्न पदों पर नियुक्त किये जाने हेतु कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। नियुक्त अभ्यर्थियों के द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उनको 15 दिवस का समय देकर कार्यभार दिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक-13**(विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय का प्रस्ताव)**

अंग्रेजी अध्ययनशाला, मानव विज्ञान अध्ययनशाला, जैवप्रौद्यौगिकी अध्ययनशाला, तथा राजनीति विज्ञान अध्ययनशालाओं में शैक्षणिक पदों को भरे जाने हेतु आयोजित चयन समितियों की बैठकों में योग्य अभ्यर्थी न पाये जाने की स्थिति में रिक्त रह गये पदों को पुनः विज्ञापित किये जाने पर विचार।

निर्णय:-

उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन प्राप्त किये गये। भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् पात्र आवेदकों की संख्या निरंक होने के कारण अथवा चयन समिति के द्वारा कोई भी पात्र आवेदक योग्य न पाये जाने के कारण निम्न रिक्त रह गये पदों को पुनः विज्ञापित किये जाने का निर्णय लिया गया।

क्रं.	अध्ययनशाला	प्राध्यापक	सह-प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक
01	SoS in English	-	ST-01	UR-01, OBC-01, ST-01
02	SoS in Anthropology and Tribal Studies	ST-01	OBC(PwD)-01	UR-01
03	SoS in Biotechnology	UR-01	ST-01	-
04	SoS in Political Science	OBC-01	UR-01, OBC-01	-

विषय क्रमांक-14**(विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय का प्रस्ताव)**

दैनिक वेतन भोगियों के विश्वविद्यालय प्रशासन एवं माननीय विधायक श्री किरण देव जी दिये गये ज्ञापन दिनांक 02.06.2025 पर विचार।

निर्णय:-

1. समस्त दैनिक वेतन भोगी श्रमिक, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक WPS4686/2025 दायर की गयी है। चूंकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अतः विधिक अभिमत प्राप्त कर प्रकरण पुनः कार्यपरिषद के समक्ष रखा जायेगा।
2. दैनिक वेतन भोगियों के विनियमितीकरण का निर्णय छ.ग. शासन के द्वारा लिया जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन छ.ग. शासन के द्वारा निर्देश एवं आदेशों का पालन करता है। अतः कार्यपरिषद द्वारा विनियमितीकरण पर विचार नहीं किया जा सकता है।
3. विश्वविद्यालय में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगियों के द्वारा सीधी भर्ती में आवेदन करने पर अन्य न्यूनतम अर्हताओं के पूर्ण करने की स्थिति में निरन्तर सेवाओं का लाभ देते हुये प्रति पूर्ण वर्ष के लिये 2 अंक तथा अधिकतम 10 अकों को चयन प्रक्रिया के आधार अंकों में जोड़ कर कार्यरत् कर्मचारियों को लाभ देने का निर्णय लिया गया।

पूरक एजेण्डा पर चर्चा।**विषय क्रमांक-01****(विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)**

विश्वविद्यालय में कार्यालयीन कार्य हेतु कर्मचारी रखे जाने की अनुमति के संबंध में।

निर्णय:-

अनुमति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक-02**(विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)**

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर में कार्यरत् कर्मचारियों को विनियम-91 में उल्लेखित प्रावधानानुसार पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा अवधि में शिथिलता प्रदान कर आगामी विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक में सम्मिलित कर पदोन्नत किये जाने के संबंध में।

निर्णय:-

विनियम-91 में उल्लेखित प्रावधानानुसार ही पदोन्नति किये जाने का निर्णय लिया गया।


कुलसचिव (I/C)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)


कुलपति 15.06.2025

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)